(3)

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व मु0 नं0 33/2014

1. श्री अज्जा पुत्र श्री मोती
2. श्री किशना पुत्र श्री मोती
3. श्री जेठू पुत्र श्री भूरा
4. श्री छीतर पुत्र श्री भूरा
5. श्री मंगला पुत्र श्री भूरा
6. श्री लादू पुत्र श्री भूरा
7. श्री उगमा पुत्र श्री भूरा
8. श्री शंकर पुत्र श्री भूरा
9. श्रीमती राधा पत्नी श्री मेवा समस्त वयस्क समस्त जाति भांभी, निवासी गांव सालरमाला द्वितीय, तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0। —— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री लाला पुत्र श्री कामड
2. श्री बिरदा पुत्र श्री कामड
3. श्री मदन पुत्र श्री कामड
4. श्री छोटू पुत्र श्री कामड समस्त वयस्क समस्त जाति भांभी, निवासी गांव सालरमाला द्वितीय, तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
5. श्रीमान् तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर महोदय, मसूदा जिला अजमेर राज0।

—— **प्रतिवादी**

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान टेनेन्सी एमेन्डमेन्ट एक्ट 2010

:— निर्णय :— दिनांक 17-5-2016

प्रार्थीगण ने इस प्रपत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा सालरमाला द्वितीय पटवार हल्का कालाहेडी भू अभिलेख निरीक्षक किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के खाता सं0 2 की अराजी कुल खसरा किता 43 रकबा 65—01—00 बीघा भूमि उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमियां है जिस पर जाने का कदिमी रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा सं0 785 व 752 क्रमशः रकबा 2—09—10 व 5—16—10 में से होकर चला आता है जिसकी चौडाई 12 फीट कुल क्षेत्रफल लगभग 450 फीट है। इसके अलावा प्रार्थीगण की प्रसंगत खाता सं0 2 की अराजी पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस बाबत अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 ने दिनांक 24.09.2014 को रू. 100/— के स्टाम्प एक तहरीरी इकरारनामा भी लिखकर प्रार्थीगण को दिया हुआ है जिससे वे सहमत हैं। लेकिन इस तहरीर से उक्त अप्रार्थीगण मुकर रहे हैं और प्रार्थीगण के पशुधन आदि को उस रास्ते से निकलने से मना कर रहे हैं। प्रार्थीगण एस0सी0 के लोग है अतः अप्रार्थीगण उन्हें दबाव में रखना चाहते हैं। प्रार्थीगण नियमानुसार उक्त रास्ते की डी0एल0सी0 रेट से रकम अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की भूमियों पर जाने के लिए उस रास्ते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिसके कारण प्रार्थीगण को उनकी भूमियों पर काश्त करने में परेशानी होती है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को उनके कदिमी रास्ते से आने जाने के लिए रास्ता मौके पर नियमानुसार डी0एल0सी0 रेट पर कायम करवाने की कृपा करावें।

पत्रावली आज कैम्प मुकाम किराप पर पेश हुई। प्रार्थीगण हाजिर आये और उन्होनें निवेदन किया कि हमें रास्ता दिलवाया जावे। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। उनके विरूद्ध दिनांक 10.12.2014 को एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी के अनुसार खसरा सं0 784, 783, 782, 781, 780, 779 ,779 ,777 ,775, 774, 773, 772, 771, 770, 796, 768 , 767, 766, 765, 764,

(5)

763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है जिन पर जाने का रास्ता अप्रार्थी की खातेदारी की अराजी खसरा न. 752 एवं 785 से होकर ही गुजरना दर्शाया गया है जो संभव भी है, क्योंकि नक्शे अनुसार प्रार्थीगण के पास उनकी भूमियों पर जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नक्शे अनुसार मौके पर उपलब्ध होना नहीं पाया जाता है। इस बात को अप्रार्थीगण दिनांक 24.09.2014 को अपने तहरीर इकरारनामें में उस शर्त के साथ स्वीकार किया है कि खसरा नं. 752 एवं 785 में से 12 फीट का रास्ता सार्वजनिक रहेगा, जिससे प्रार्थीगण भी सहमत है। यही नहीं सार्वजनिक रास्ते की डी0एल0सी0 की रकम भी प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है जिसे उन्होनें अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकारा है। पत्रावली पर भू अभिलेख निरीक्षक किराप पटवारी हल्का द्वारा मौके पर रास्ते की लम्बाई एवं चौडाई का नाप कर रास्ते का कुल रकबा 396 गुणा 12 फीट 4752 वर्गफीट अर्थात 0–05–10 बिस्वा होना बताया है। इसके विपरीत टी0आर0ए0 तहसील मसूदा ने इसकी राशि मात्र रू. 2387–/ होना बताया है जो मात्र 450 फीट की ही बताई है।

इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा रास्ते के कुल क्षेत्रफल 4752 वर्गफीट अर्थात 0–05–10 बिस्वा भूमि की डी0एल0सी0 दर से कुल राशि जो बने उसके प्रस्ताव टी0आर0ए0 तहसील मसूदा से तलब करने के आदेश दिये जाते है। टी0आर0ए0 तहसील मसूदा से जो भी राशि बने प्रार्थीगण जरिये चालान खजाने सरकार संबंधित हैड में जमा करवा कर चालान प्रस्तुत करें। चालान प्रस्तुत होने पर ही रास्ता नक्शे में तरमीम कर मौके पर भौतिक रूप से टी0आर0ए0 तहसील मसूदा कायम करावें।

निर्णय आज दिनांक 17-5-16 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम किराप पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.27 16:55:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: